

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर-26, प्रतापनगर, जयपुर 302033

क्रमांक:-प.1(प्रति-2)/से.नि./04/2011/

दिनांक:-

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)एफडी/नियम/98 जयपुर दिनांक 24 मई 2004 के अनुदेशों के तहत इस विभाग के अधीन पदस्थापित/कार्यरत निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (परिचारक) द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्याह्न बाद राज्य सेवा से सेवा निवृत्त किया जाता है:-

क. सं.	नाम परिचारक (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)	पिता/पति का नाम	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	श्री पूरण मल छीपा	स्व. श्री हनुमान सहाय	राज. होम्यो. औषधालय अग्रवाल फार्म(एस.एफ.एस.)मानसरोवर, जयपुर, राज.	जयपुर	01-02-1960	31-01-2020
2.	श्री आदित्य कुमार	श्री त्रिभुवन नाथ शर्मा	राज. होम्यो. औषधालय गौरधनपुरा, कोटा, राज.	कोटा	26-01-1960	31-01-2020
3	श्रीमती बंसती बाई	श्री रामचन्द्र	राज. होम्यो. औषधालय एक छत, झालावाड राज.	झालावाड	06-02-1960	29-02-2020
4	श्री संतोष कुमार त्रिवेदी	श्री भूरामल त्रिवेदी	राज. होम्यो. औषधालय दादाबाडी, कोटा राज.	कोटा	11-09-1960	30-09-2020

नोट:-उक्त सूची में अंकित कार्मिक के विरुद्ध वर्तमान में:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहीयां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

(डॉ. रेणु बंसल)

निदेशक

दिनांक:- 4.11.19

क्रमांक:-प.1(प्रति-2)/से.नि./04/2011/ 6885

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग जयपुर/कोटा राज. ।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर ।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर ।
6. चिकित्साधिकारी प्रभारी राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, अग्रवाल फार्म (एस.एफ.एस.)मानसरोवर, जयपुर, राज./ गौरधनपुरा, कोटा, राज./ एक छत, झालावाड/दादाबाडी, कोटा राज. को दी जाकर लेख है कि संबंधित परिचारक को उक्तानुसार सेवानिवृत्ति दिनांक को सेवा निवृत्त कर इस कार्यालय को सूचित करें ।
7. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को दी जाकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
8. सम्बन्धित परिचारक (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) श्री.....औषधालय..... को दी जाकर लेख है कि पेंशन कुलक मय आवश्यक अभिलेखों के पूर्ती पश्चात यथासमय कार्यालय को प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करें ।
9. लेखा शाखा/रोकड़ शाखा/स्टोर शाखा/सामान्य शाखा/ कार्यालय परिसर ।

(डॉ. रामप्रकाश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक